

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3043 / 11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांक: मार्च 19, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/३०३/२०२२/एफ०सी०/५३०, दिनांक 16.02.2024 एवं वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा का पत्रांक-3981/33-1, दिनांक 19.03.2024 तथा वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती का पत्रांक-2311/33-1, दिनांक 12.03.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा के उपरोक्त पत्रांक-3981/33-1, दिनांक 19.03.2024 तथा वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती के उपरोक्त पत्रांक-2311/33-1, दिनांक 12.03.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3043 / 11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।



(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रांक- 3991/33-1, दिनांक गोण्डा, मार्च 19 /2024

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/151936/2022)

संदर्भ-

आपका पत्रांक-2216/11-सी- FP/UP/ROAD/151936/2022, दिनांक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा आपत्तियों लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रांक-3030/33-1, दिनांक 14.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रांक-3030/33-1, दिनांक 14.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

पत्रांक-

/33-1, दिनांक, गोण्डा, मार्च 14

/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों की पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं०-8वी/यू०पी०/०६/३०३/२०२२/एफ०सी०/५३० दिनांक 16.02.2023 एवं वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा का पत्रांक 3698/33-1 दिनांक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियां लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	आपत्तियां	उत्तरालेख
2	The positinol error has been found in the proposed CA side of the Tikri Range. The KML File/Geo referenced map need to be revised.	जियो रिफरेन्स मैप सही कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	The net suitable area For Plantations As per DSS Analysis is 3.58 Ha. Which is lower then the actual required CA land area.	प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार के कार्यालय से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं०-3 की आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी

गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या.....अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक महोदय, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।



कार्यालय-वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती

E-Mail - ID : cfbasti1947@gmail.com

Office : Conservator of Forests Basti Circle-Basti, Near-Toll Plaza, Marwa Nagar
Post-Purani Basti, Distt.Basti Pin-272002

पत्रांक : 2311 /33-1 बस्ती, दिनांक, मार्च 12 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/06/303/2022/एफ०सी०/530 दिनांक 16.02.2024 एवं आपका पत्र संख्या-2216/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/Road/151936/2022, दिनांक 04.03.2024,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयगत प्रस्ताव में बस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के पत्र सं०-6271/33-1 दिनांक 07.03.2024 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे सहमति/संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के पत्र सं०-6271/33-1 दिनांक 07.03.2024 की छाया प्रति एक प्रति में।

भवदीय,

(डा० मनोज कुमार शुक्ल)

वन संरक्षक

बस्ती वृत्त, बस्ती

संख्या : 2311/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या वन प्रभाग, अयोध्या।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(डा० मनोज कुमार शुक्ल)

वन संरक्षक

बस्ती वृत्त, बस्ती

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।

पत्रांक- 6271 / 331 बस्ती, दिनांक, मार्च 07 / 2024
सेवा में,

वन संरक्षक,
बस्ती वृत्त बस्ती।

विषय:-

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/303/2022/एफ.सी./530 दिनांक 16.02.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2216/11-सी- FP/UP/ Road/ 151936/2022 दिनांक 04.03.2024 एवं आपका पत्रांक 2237/33-1 दिनांक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	As per the Parivesh portal, The KML file of the proposed CA land of the Ramnagar Range is corrupts This needs to be re-uploaded.	परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पार्ट-2 में पुनः अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

(जय प्रकाश सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बस्ती।

संख्या 6271/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी अयोध्या एवं गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जय प्रकाश सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बस्ती।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या

पत्रांक 3516 /14-4 दिनांक:अयोध्या: 16/03/2024

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
साठवाठ सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय:-

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणा बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैंजावाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

सन्दर्भ:-सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8वीं/यूपी/06/303/2022/एफ०सी०/530 दिनांक 16.02.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2216/11-सी-FP/UP/Road/151936/2022 दिनांक 04.03.2024, प्रभागीय निदेशक, वन प्रभाग बस्ती के कार्यालय का पत्रांक 6271/33-1 दिनांक 07.3.2024 व प्रभागी वनाधिकारी, वन प्रभाग गोण्डा के कार्यालय का पत्रांक 3030/33-1 दिनांक 07.03.2024 परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली के कार्यालय का पत्रांक NHAI/PIU-Rbly/Ayodhya Bypass/Forest/2023/30063 Dated 15-03-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित एवं अन्य सहित आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः लगायी गयी इस कार्यालय से सम्बन्धित आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर ऑनलाइन व हार्डकॉपी में संशोधित कर वांछित सूचना एवं प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर Parivesh Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है:-

क्र० सं०	कमियों/अभिलेख	निराकरण
1	2	3
1	As per the parivesh portal, The KML file of the proposed CA land of Ramnagar Range is corrupt. This needs to be re uploaded.	As informed by the Divisional Forest Officer, Basti and user agency The rectified KML file of the proposed CA land has been re-uploaded on Parivesh Portal.
2	The Positional error has been found in the proposed CA site of Tikri Range. The	As informed by the Divisional Forest Officer, Gonda and user agency The revised KML file of

	KML file/geo-referenced map needs to be revised.	the proposed CA land has been re-uploaded on Parivesh Portal.
3	The net suitable area for plantation as per DSS analysis is 3.58 ha, which is lower than the actual required CA land area.	As informed by the user agency in case of objection no-3 the KML file of Ramnagar Range was corrupted due to which DSS analysis could not be done for Ramnagar range. Now the KML file of proposed CA land of Ramnagar range (1.8 Ha land) has been rectified & uploaded on Parivesh Portal, which assured availability of net suitable area of 4.96 Ha. for Plantation.

अतः समस्त बिन्दुओं की कमियों/आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर Parivesh Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(प्रणव जैन)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक 3516 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।



(प्रणव जैन)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।